सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 08, मंगलवार, *शाके* 1945-फरवरी 27, 2024 *Phalguna 08 Tuesday , Saka 1945- February 27 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 15, 2024

जी.एस.आर.177 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) (द्वितीय संशोधन) नियम तथा विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन. - राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 में, शीर्ष ग्रुप-"ग" के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 1क, 1ख, 1ग और उनकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

1क.	मुख्य चालक (ड्राईवर)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	वरिष्ठ चालक (ड्राईवर) ग्रेड- **I**	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-
1ख.	वरिष्ठ चालक (ड्राईवर) ग्रेड-**I**	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	वरिष्ठ चालक (ड्राईवर)	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-
1ग.	वरिष्ठ चालक (ड्राईवर)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	चालक (ड्राईवर)	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-

"

[संख्या एफ.7(1)डीओपी/ए-II/2023]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 15, 2024

G.S.R.177 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) (Second Amendment) Rules and Regulations 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, after the existing serial number 1 and entries thereto and before the existing serial number 2 and entries thereto, under head Group –"C", the following new serial number 1A, 1B, 1C and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

1A.	Chief Driver	100% by promotion	-	Senior Driver Grade - I	9 years experience on the post mentioned in column number 5	-
1B.	Senior Driver Grade - I	100% by promotion	-	Senior Driver	9 years experience on the post mentioned in column number 5	-
1C.	Senior Driver	100% by promotion	-	Driver	9 years experience on the post mentioned in column number 5	-

"

[No.F.7(1)DOP/A-II/2023]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.